

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1188 / 2024


दिनांक 27.03.2024

श्री युवराज सिंह (RJ00763), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बारां को दिनांक 27.02.2024 से 04.03.2024 तक 07 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री सिंह की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बारां के पद पर ही की गई।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 27.03.2024

कमांक:-स्था.बी.2(4) / 46 / 2013 / 2392

दिनांक 27.03.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां को उनके पत्रांक 469/823 दिनांक 06.03.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्री युवराज सिंह (RJ00763), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बारां।
4. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बारां।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां।


27/3/2024
सहायक रजिस्ट्रार